Selection List- Teacher Level-II (English) NON TSP

Category- Court Case

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः निसशि / भर्ती अनुभाग / अध्यापक / लेवल–II / 2017–18 / 36740

दिनांकः 04/09/2018

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या–2 / 2017–18 दिनांक 05.02.2018 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 06.02.2018 के तहत **अध्यापक लेवल द्वितीय (कक्षा 6–8) अंग्रेजी (नॉन–टीएसपी) ग्रेड III** सीधी भर्ती 2017 हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रीट पिटीशन संख्या 4808 / 2018 श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे मान0 न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2018 की अनुपालना में अभ्यर्थी द्वारा विभाग में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.2018 के साथ संलग्न ऑफलाईन आवेदन पत्र में अंकित आरटेट / रीट के प्राप्तांक प्रतिशत का 70 प्रतिशत एवं स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 30 प्रतिशत के आधार पर अस्थायी वरीयता सूची निर्मित कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन दस्तावेज सत्यापन हेतु **दिनांक 04.10.2018** को आमंत्रित किया जाता है–

S. No.	Candidate Name	Father Name	DOB	Application No	Home District	Gender	Category	Maritial Status	70 % of REET	30% Of Graduation	Total percentage	Call Status
1	Vikram Singh	Fateh Singh	16-07-1993	Offline application form	Hanumangarh	Male	OBC- Non Creamy	Single	53.67	18.89	72.56	Call Gen

1 यह चयन सूची पूर्णतः अस्थायी है। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजो,प्रमाण पत्रों / अंकतालिकाओं से मिलान के लिए बुलाया गया है।

2 उपर्युक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों को आदेश में अंकित तिथि को प्रातः 10.00 बजे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, कार्यालय जयपुर संभाग, जयपुर पता ई–179, संस्कृत भवनम्, रमेश मार्ग, सी स्कीम, जयपुर (दूरभाष नं. 0141–2221077) पर समस्त मूल दस्तावेज (शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक) मय ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति (हार्ड कापी) के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना हैं।

3 समस्त अभ्यर्थियों को अपने साथ सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उपर्युक्त सूची जारी होने की तिथि के बाद की तिथि का चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। चरित्र सत्यापन जारी नहीं होने की स्थिति में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4 विभागीय वेवसाईट (http://rajsanskrit.nic.in)पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर समस्त वांछित दस्तावेजों की फोटोप्रति निर्देशानुसार संलग्न कर साथ लाना अनिवार्य है।

5 राजस्थान राज्य से बाहर की डिग्री होने की स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के संबंध में संबधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण तथा प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता की पुष्टि का प्रमाण साथ लाना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जायेगा।

6 सत्यापन हेतु उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सहायक निदेशक
संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर